झारखण्ड सरकार,
वाणिज्य–कर विभाग

पत्र संख्या –वाकर/कम्प्यु/15/2013 – 6342 /राँची, दिनांक – 31/12/13

प्रेषक,

मस्त राम मीणा,
सचिव–सह–आयुक्त,

सेवा में,

सभी वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)/(अपील)/(वैट ऑडिट),
सभी वाणिज्य–कर अंचल प्रभारी।

विषयः– झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 74 तथा सुसंगत नियमावली के नियम 3B के अधीन प्रदत्त शक्ति के आलोक में **Transit Movement for Online Transit Pass** (झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 72 (11) तथा सुसंगत नियमावली के नियम 43 के साथ पठित) के निर्गमन की प्रक्रिया विहित करने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 74 तथा सुसंगत नियमावली के नियम 3B के अधीन प्रदत्त शक्ति के आलोक में Transit movement for Online Transit Pass (झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 72 (11) तथा सुसंगत नियमावली के नियम 43 के साथ पढ्ति) के निर्गमन की प्रक्रिया निम्नवत् प्रक्रिया विहित की जाती हैः–

1. परिवहनकर्त्ता (Transporter) द्वारा विभागीय वेबसाईट **http://jharkhandcomtax.gov.in** के **e-services** के **Transit Pass Link** को **click** करना।
2. परिवहनकर्त्ता द्वारा User Id एवं Password create करने के लिए Sign up link को click करना।
3. Sign up के पश्चात Profile registration का खुलना जिसमें Transporter Registration No., Transporter Name, e-mail, Mobile no., Address, State, District एवं PIN के विवरण का भरना तथा Submit button को click करना।
4. Submit करने के उपरांत Registration Process के पूर्ण होने का Message दिखना। अब Create किए गए e-mail ID एवं Password की सहायता से Login करना।

5. तदोपरांत Transit Pass प्राप्त करने हेतु JVAT 117 में आवेदन का खुलना जिसमें परिवहनकर्त्ता द्वारा Check-post details, Vehicle / Driver's details, Consignor / Seller's details, Consignee / Buyer's details, Invoice details का भरा जाना। तत्पश्चात Add button को click किया जाना। Add button को click किए जाने पर भरे गये सारे details की सूची दिखना। Consignor or Consignee के Multiple entry भरे जाने की स्थिति में पेज की दाहिनी ओर clear link को click कर अतिरिक्त विवरण भरा जा सकता है। समस्त details की entry करने के उपरांत save button click करना।
6. Save button click करने के पश्चात् Transit Pass (JVAT 508) के समस्त भरे गये विवरण का दिखना। परिवहनकर्त्ता द्वारा Print Button click कर सृजित Transit Pass का Print out प्राप्त किया जा सकता है।
7. चेक–पोस्ट पर जॉच हेतु परिवहित किए जा रहे माल के साथ Transit Pass की दो प्रतियाँ चालक को लेकर चलना अनिवार्य है।

उपरोक्त वर्णित प्रावधानों के अतिरिक्त समय–समय पर संबंधित अधिनियम/नियमावली/सॉफ्टवेयर में संशोधन के आलोक में विहित प्रावधानों में संशोधन/परिवर्तन किया जा सकेगा।

विश्वासभाजन

31.12.13

(एम0आर0मीणा)

सचिव–सह–आयुक्त।